

# फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, सांगानि  
 सत्यनारायण बनाम रामनारायण

दिनांक / वर्ष

11/3/2018:

/20

क्रमांक आदेश  
कार्यवाही

आदेश विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

25/4/23

उभयपक्षकारान् की ओर से वीधु (पुनर्वाक्य) प्रमाण पत्र पेश करने से पचावन्नी आप तणव की जाका पेश हुई। वकील उभयपक्षों द्वारा जारी प्रतिवादी संख्या-3 के कायम मुकाम का प्रमाण पत्र पेश किया। आ. मि. हो। प्रति. सं. 3 के कायम मुकाम की ओर से श्री हिमांशु सांगानि एडव ने वकालतनामा पेश किया। आ. मि. हो। उभयपक्षों की ओर से धारा-151 एल वाकत सरानमा 6/140 व श। को वाद में जोड़ते हुए नजरी नक्शे अनुसार डिही पारित किये जाने का निवेदन किया। पचावन्नी व राजल रिपोर्ट का अलग-अलग कॉले व वकील उभयपक्षों की दृष्टि का मनन किया। उभयपक्षों की सहमति के आधार पर प्रति. सं. 3 का कायम मुकाम प्रमाण स्वीकार किया जाकर प्रति. सं. 3 अंतर्गत के वारिजान् को पक्षकार वाद संयोजित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण धारा-151 एल-न्यायविधि में स्वीकार किया जाकर खण्ड 6/140 व श। को वाद में संयोजित करते हुए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार वाद में अन्तिम डिही जारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय व डिही प्रथम से लिखवाया जाकर सुनाया। आ. मि. हो। पचावन्नी दर्द नमा से कम होकर वाद तकभीक दारिक दफ्तार हो सुनाया।

रामनारायण  
 श्री हिमांशु सांगानि  
 मोहन लाल शर्मा  
 जयल शर्मा  
 प्रमोदा  
 [Signature]  
 [Signature]

उप-खण्ड अधिकारी  
 जयपुर द्वितीय